बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 19.3.21

संख्या–7/स्था0–1–4–05/2011सा0प्र0 3923 /भारत–संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श से, बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2021

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।

   (2) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 में परिशिष्ट 'च' के खंड–3 के अंत में परन्तुक निम्नरूपेण जोड़ा जायेगा।**–

   "परन्तु द्वितीय श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त किये जाने की अवधि के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में किसी पदाधिकारी का मूल्यांकन निर्धारित मानदण्डों से कम होना उसकी प्रोन्नति के लिए विचारण में अनर्हता नहीं माना जायेगा"।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19.03.2021

(शालिग्राम पाण्डेय)

सरकार के अवर सचिव (प्र0)।

ज्ञापांक–7/स्था0–1–4–05/2011सा0प्र0 3923 /पटना–15, दिनांक 19.3.21

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

19.03.2021

सरकार के अवर सचिव (प्र0)।

ज्ञापांक–7/स्था0–1–4–05/2011सा0प्र0 3923 /पटना–15, दिनांक 19.3.21

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–36 दिनांक 16.03.2021 के प्रसंग में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.2021

सरकार के अवर सचिव (प्र0)।

D/DRIVE/SEC-07/RULE, 1955 NOTIFICATION

Government of Bihar

General Administration Department

Notification

Patna-15, Date .19.3.21

No-7/Astha.-1-4-05/2011GAD ...3923......./In exercise of the powers conferred by Article 234 of Constitution of India the Governor of Bihar in consultation with High Court, Patna and Bihar Public Service Commission is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955:-

Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2021

1. **Short title and commencement.** -(1) This Rules may be called the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2021.

   (2) It shall come into force at once.

2. **The following Proviso be inserted at the end of Clause 3 of Appendix-'E' to the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955:**

   "Provided that appraisal of the period during which the officer was conferred the power of Judicial Magistrate 2^{nd} Class shall not be considered as a disqualification for the purpose of promotion if the same falls short of the parameters prescribed".

By order of the Governor of Bihar

19.03.2021

(Shaligram Pandey)

Under Secretary (I) to the Govt.

Memo no.- 7/Astha.-1-4-05/2011GAD....3923...../Patna-15, dated....19.3.21....

Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna and E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

19.03.2021

Under Secretary (I) to the Govt.

Memo no.- 7/Astha.-1-4-05/2011GAD...3923...../Patna-15, dated...19.3.21...

Copy Forwarded to Accountant General (A & E), Bihar, Patna Forwarded to Accountant General (A & E), Bihar, Patna/ Registrar General, High Court, Patna/Principal Secretary, Cabinet secretariat with reference to Cabinet item no.-36 dated 16.03.2021/Secretary, Law Department, Bihar/B.P.S.C., Patna/All District & Session Judges/All Departments/All Head of Departments and I.T. Manager, G.A.D. for information and necessary action.

19.03.2021

Under Secretary (I) to the Govt.

D/DRIVE/SEC-07/RULE, 1955 NOTIFICATION